कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/निप्र/नवाचार/2017–19/339 दिनांक : 15.02.20

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान ।

विषय :– विषय आधारित व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक, पांच दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 2019–20 के आयोजन के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,जयपुर का पत्रांक : रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण /2019–20/1076 दिनांक : 06.02.20

संदर्भ :– समसंख्यक पत्र दिनांक : 05.02.20 एवं 13.02.20 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक प्रासंगिक पत्र के अनुसार प्री–बोर्ड परीक्षा परिणाम के उपरान्त दिनांक : 15.02.2020 को प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम को **विशेष PTM** आयोजित कर अभिभावकों के साथ सांझा करने के निर्देश जारी किए जा चुके है, जिसके तहत प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित लब्धि के आधार पर आगामी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर उन्नयन की सुनिश्चितता हेतु संस्थाप्रधान एवं विषयाध्यापकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी एवं अभिभावक के साथ सार्थक विमर्श किया जाकर काठिन्य बिन्दुओं के निराकरण हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाना है।

उक्त उपचारात्मक शिक्षण को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के प्रासंगिक पत्र दिनांक : 06.02.2020 द्वारा विषय आधारित व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक, पांच दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 2019–20 के आयोजन को संशोधित कर फरवरी तक करवाए जाने के निर्देश दिए गए थे।

परन्तु यह ध्यान में आया है कि कतिपय जिलों में उक्त प्रशिक्षण उपचारात्मक शिक्षण अवधि के दौरान ही प्रारम्भ/आयोजित किए जा रहे है, जो कि अनुचित है। अतः आप यह सुनिश्चित करवाए कि :–

1 यथासम्भव प्रशिक्षण कार्यक्रम उपचारात्मक शिक्षण अवधि के उपरान्त ही आयोजित किए जाए।

2 किसी भी विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित शिक्षक को इस अवधि में प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाकर, आगामी आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाना उचित रहेगा।

3 यथासम्भव एक विद्यालय से प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक ही शिक्षक को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावें, जिससे कि विद्यालय में उपचरात्मक शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु इस अवधि में किए गए प्रयास, परिणाम को सार्थक दिशा प्रदान करते हैं। अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए, बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु किए जा रहे प्रयासों की कियान्विति सुनिश्चित करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव , स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव,राजस्थान,जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,जयपुर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
11. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)/संस्था प्रधान–राउमावि/रामावि ।
12. सहायक निदेशक (शाला दर्पण), कार्यालय हाजा।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा